

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रीति अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

नवान:-

केलन्ता बाई पत्नि धनपाल जाति गूजर निवासी बमोरीकलां तहसील मांगरोल जिला बारां  
.....वादीया

बनाम

1. खेमराज पुत्र भंवरलाल
  2. किशनगोपाल पुत्र स्व० मथुरालाल
  3. शम्भूदयाल पुत्र स्व० मथुरालाल
  4. गिराज पुत्र स्व० मथुरालाल
  5. शकुन्तला बाई पत्नि चन्द्रप्रकाश
  6. रितेश पुत्र चन्द्रप्रकाश
  7. कंचनबाई पत्नि नन्दलाल
  8. कैलाशीबाई पत्नि नन्दलाल
  9. बद्रीबाई पत्नि बीरबल
  10. अनुसुईया पत्नि बद्रीलाल
  11. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज०)
- जातिगण ब्राह्मण निवासीगण ग्राम जारेला तहसील मांगरोल जिला बारां
- जातिगण मीना निवासीगण ग्राम जारेला तहसील मांगरोल जिला बारां

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दावा बाबत:- 53 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर:-129/2018

निर्णय दिनांक : 22.07.2022

वादीया के अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.07.2022 को रजत कुमार विजयवर्गीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम जारेला तहसील मांगरोल का पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-

क. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	केलन्ता बाई पत्नि धनपाल जाति गूजर निवासी बमोरी कलां हिस्सा पूर्ण रहन बदस्तुर	122	0.77	नहरी I	24.64
	कुल	122 (पूर्वी मेड से मध्य मे यथा प्रस्तावित)	0.77	नहरी I	24.64
2	किशनगोपाल, गिराज, शम्भूदयाल पुत्रान मथुरालाल हिस्सा 542/1006 जाति ब्राह्मण निवासी सा० देह रहन बदस्तुर, खेमराज पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/1006 जाति ब्राह्मण सा० देह, अनुसुईया पत्नि बद्रीलाल हिस्सा 47/1006, कंचन बाई पत्नि भरोसी हिस्सा 89/1006, कैलाशी बाई पत्नि नन्दलाल हिस्सा 81/1006, बद्री बाई पत्नि बीरमल हिस्सा 47/1006, रितेश पुत्र चन्द्र प्रकाश हिस्सा 113/1006 शकुन्तला बाई पत्नि चन्द्र प्रकाश हिस्सा 86/1006 जातिगण मीना सा० देह रहन बदस्तुर	114 115 121 122 (पूर्वी मेड से मध्य भाग को छोडकर यथा प्रस्तावित) 125 129 208	0.71 0.77 0.51 2.29 1.90 3.34 0.54	नहरी I नहरी I नहरी I नहरी I नहरी I नहरी I नहरी I	22.72. 24.64 16.32 73.28 60.80 106.88 5.40
	कुल	किता 7	10.06	-	310.04

उक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह आदेश आज दिनांक 22.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।



(रजत कुमार विजयवर्गीय)  
उपखण्ड अधिकारी  
मांगरोल जिला बारां (राज०)